E-Computer - 93568

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE
कार्यालय आयुक्त, सीमा शुल्क, जोधपुर
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS, JODHPUR
मुख्यालय: नव केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेचू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
Hqrs.: NCR BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR- 302005
सत्यमेव जयते

Telephone No. 0141-2385053, Fax No. 0141-2385177

C.No. : GEN/TECH/PN/52/2020-Tech/ दिनांक : .04.2024

<u>सार्वजनिक सूचना सं. (Public Notice No.) : 05/2024</u>

Subject: Designation of Central Public Information Officers (CPIOs) and Appellate Authority under the Right to Information Act, 2005, within jurisdiction of the Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur Hqrs. at Jaipur-regarding.

विषय: सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जोधपुर (मुख्यालय – जयपुर) के अधिकार क्षेत्र के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम से संबंधित।

In exercise of the powers conferred by Section 5 (1) and Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005, attention of the Citizens/Public is hereby invited that the Public Notice No. 02/2024 dated 18.01.2024 is hereby partially modified due to change of charge in the grade of Assistant Commissioner that the officer, as per Annexure to this Public Notice, has been appointed/designated as Central Public Information Officers (CPIOs) and Appellate Authority within the jurisdiction of the Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur (Hqrs. at Jaipur).

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) और धारा 19 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिकों/जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि सहायक आयुक्त की श्रेणी में प्रभार में परिवर्तन के कारण सार्वजनिक सूचना संख्या 02/2024 दिनांक 18.01.2024 को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक के अनुसार अधिकारी को केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकरण के रूप में सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जोधपुर (जयपुर मुख्यालय) के अधिकार क्षेत्र में नियुक्त/नामित किया गया है।

2. The newly designated Central Public Information Officers/Appellate Authority would deal with RTI applications received (and appeals relating thereto) on or after the date of re-designation.

नव नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकरण पुन: पदनाम की तारीख पर या उसके बाद प्राप्त आरटीआई आवेदनों (और उससे संबंधित अपील) से निपटेंगे।

3. During absence of the Central Public Information Officers (CPIOs) from the Headquarters/place of posting, for the reason of tour/leave or for any other reason; the officer holding the additional/alternate charge of the formation as described in the column of "Designation" in the Annexure to this Public Notice, shall also work as the Central Public Information Officer.

दौरे/छुट्टी या किसी अन्य कारण से केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) की मुख्यालय/तैनाती स्थान से अनुपस्थिति के दौरान; इस सार्वजनिक सूचना के अनुबंध में "पदनाम" के कॉलम में वर्णित अनुसार गठन का अतिरिक्त/वैकल्पिक प्रभार रखने वाला अधिकारी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में भी काम करेगा।

4. During the absence of the Appellate Authority under the Right to Information Act, 2005, from the

Headquarters/place of posting, for the reason of tour/leave or for any other reason; the officer holding the additional/alternate charge of the officer as described in the column of "Appellate Authority", in the Annexure to this Public Notice, shall also work as the Appellate Authority.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलीय प्राधिकारी की मुख्यालय/तैनाती स्थान से दौरे/छुट्टी या किसी अन्य कारण से अनुपस्थिति के दौरान; इस सार्वजनिक सूचना के अनुबंध में "अपीलीय प्राधिकारी" के कॉलम में वर्णित अधिकारी का अतिरिक्त/वैकल्पिक प्रभार रखने वाला अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी काम करेगा।

संलग्न : अनुलग्नक (1 **पृष्ठ में**)

Signed by
Sugriv Meena
Date: 30-04-2024 11:32:29

(सुग्रीव मीना)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई वास्ते प्रस्तुत हैं (**Mailing List (Public Notice No. 05/2024)** :-

1. श्रीमान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), दिल्ली जोन, न्यू कस्टम्स हाउस, आई.जी.आई. हवाई अड्डे के पास, नई दिल्ली
2. श्रीमान सी. पी. आई. ओ./ सहायक आयुक्त, कार्यालय मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन) जयपुर
3. श्रीमान आयुक्त (**Cordination**), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, नई दिल्ली
4. निजी सहायक, आर.टी. आई. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय जोधपुर मुख्यालय, जयपुर
5. श्रीमान सी. पी. आई. ओ./ सहायक आयुक्त ……………………………………/ CPIOs with request to give adequate publicity to the above changes in their jurisdiction for benefit of the members of trade and public and designate new CPIO in respect of their Charge under Section 5 (2) of the RTI Act, 2005.
6. श्रीमान मुख्य लेखा अधिकारी, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय जोधपुर मुख्यालय, जयपुर, एनसीआर भवन, स्टैच्यू सर्कल, सी-स्कीम, जयपुर-5.
7. श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी (**AO-DDO**), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय जोधपुर मुख्यालय, जयपुर, एनसीआर भवन, स्टैच्यू सर्कल, सी-स्कीम, जयपुर
8. श्रीमान अधीक्षक/निरीक्षक (सिस्टम शाखा), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय जोधपुर मुख्यालय, जयपुर, एनसीआर भवन, स्टैच्यू सर्कल, सी-स्कीम, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि इस सार्वजनिक सूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
9. गार्ड फाइल, सीमा शुल्क मुख्यालय जयपुर की तकनीकी शाखा के लिए
10. नोटिस बोर्ड

अपर आयुक्त

Annexure to the Public Notice No. 05/2024 dated .04.2024

सार्वजनिक सूचना सं. (Public Notice No.) : 05/2024 **दिनांक** .04.2024 **का अनुलग्नक**

-

S. No.	Name of the Officer (S/Shri/Ms.)	Designation As	Matter relating to jurisdiction mentioned below	First Appellate Authority/Additional Commissioner
1	Vijay Prakash Verma	Assistant Commissioner सहायक आयुक्त	JGSE (Jaipur Gem Stone Exchange Ltd.), Jaipur, Diggi House, Ram Singh Road, Behind Hotel Meru Palace, Jaipur -302001 Tel.- 0141-2378507 Email ID -jgsecustoms@gmail.com Email ID – vijaypv.d079101@gov.in	Shri Dinesh Singh Dewal, Additional Commissioner, Office of the Commissioner of Customs (Prev.), Jodhpur Hqrs. At Jaipur, N.C.R. Building, Statue Circle, C- Scheme, Jaipur-302005 Tel. No. -0141-2385053 Email ID -dinesh.dewal@gov.in

-

-